न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— श्री **कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: 281/2022 दायर दिनाँक 11.07.2022

वादी		प्रतिवादीगण
1. मंगाराम पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी बकवास, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा— 88 R.T.Act.

उपस्थित:—

1. श्री महेन्द्र खिलेरी वकील वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 29.08.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी के खातेदारी का खेत खसरा सं0 219 रकबा 1.7200 हैक्टे0, खसरा सं0 227 रकबा 1.0200 हैक्टे0, खसरा सं0 231 रकबा 1.6400 हैक्टे0, खसरा सं0 248 रकबा 0.1800 हैक्टे0, खसरा सं0 249 रकबा 0.4000 हैक्टे0, खसरा सं0 257 रकबा 1.1600 हैक्टे0 वाकै शरहद बकवास, पटवार हल्का खरेश, भू अभि0 नि0 क्षैत्र खुनखुना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में अवस्थित है।

यह है कि अभी वर्तमान में आये सेटलमेन्ट अधिकारियों ने वादी के उक्त खेत खसरा सं0 249 रकबा 0.4000 हैक्टे0 में से 0.1800 हैक्टे0 खसरा सं0 248 किस्म गै0 मु0 सड़क दर्ज कर दी तथा राजस्व नक्शे में मार्क ए बी सी रास्ता दर्ज कर दिया। जबकि मार्क ए बी सी किसी प्रकार का कोई रास्ता मौके पर कभी नही था। उक्त भूमि नजरी नक्शा वाद के साथ पेश है।

यह है कि राजस्व रेकर्ड के अधिकारियों व कर्मचारियों ने गलती से सहवन से रेकर्ड में मार्क ए बी सी गलत रास्ता दर्ज कर दिया। जबकि भौतिक रूप से ऐसा कोई रास्ता मौके पर नही है तथा ना ही कभी राजस्व रेकर्ड में दर्ज था। जिससे उक्त भूमि पर वादी को कृषि कार्य करने तथा अन्य कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा इससे भविष्य में कई समस्याओं का सामना करने की आशंका है।

प्रार्थना वादी इस प्रकार है कि :—

यह है कि खसरा सं0 248 रकबा 0.1800 हैक्टे0 की किस्म गै0 मु0 सड़क हटायी जाकर उसके स्थान किस्म चाही दर्ज की जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जावें तथा राजस्व नक्शे में मार्क ए बी सी सड़क हटाये जाने के आदेश सादर फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार डीडवाना क्रमांक 1736 दिनांक 24.08.2022 के द्वारा रिपोर्ट ली गई।

विद्वान अधिवक्ता वादी की [illegible] बहस [illegible] वादी ने वाद का डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधि[illegible] की [illegible] पर मनन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:07:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर सरहद बकवास के खसरा सं0 248 रकबा 0.1800 हैक्टे0 की किस्म गै0 मु0 सड़क हटायी जाकर उसके स्थान किस्म चाही दर्ज की जाती है तथा राजस्व नक्शे में दर्ज मार्क ए बी सी सड़क को हटाया जाता है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **29.08.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:07:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **281 / 2022** दायर दिनाँक **11.07.2022**

वादी		**प्रतिवादीगण**
1. मंगाराम पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी बकवास, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक **29.08.2022**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महेन्द्र खिलेरी वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद बकवास के खसरा सं0 248 रकबा 0.1800 हैक्टे0 की किस्म गै0 मु0 सड़क हटायी जाकर उसके स्थान किस्म चाही दर्ज की जाती है तथा राजस्व नक्शे में दर्ज मार्क ए बी सी सड़क को हटाया जाता है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.....................—....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **29.08.2022** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:07:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner